GCMS संख्या 2022 / 178
प्रकरण संख्या 113 / 22
श्री भंवरलाल बनाम श्री अर्जुनलाल

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीण्डर, जिला – उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाड़ियां R.A.S.

GCMS प्रकरण संख्या 2022 / 178

प्रकरण संख्या 113 / 22

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम 1956

अनवान

1. श्री भंवरलाल पुत्र जगन्नाथ व्यास जाति ब्राहम्मण निवासी भीण्डर, तह. भीण्डर, उदयपुर।

.................प्राथीगण

बनाम

1. श्री अर्जुनलाल पिता किशनलाल चौबिसा जाति ब्राह्मण, निवासी चारगदिया, भीण्डर।
2. श्रीमती गीताबाई पत्नी मांगीलाल चौबिसा निवासी चारगदिया, तह. भीण्डर, उदयपुर।
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार साहब कानोड़ जिला उदयपुर।

.............अप्रार्थीगण

अधिवक्ता प्राथी : श्री सुशील जैन।

निर्णय

दिनांक : 20.06.2022

1. प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा हींता, पटवार हल्का हींता भू.अभिलेख निरीक्षक वृत सालेड़ा, तहसील कानोड़ की जमाबन्दी संवत् 2078–81 के खाता सख्या 536 की आराजी संख्या 1655 रकबा 0.5400 हैक्टेयर एवं आराजी संख्या 1656 रकबा 0.1100 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज रेकर्ड है जिसमें प्रार्थी के अलावा किसी अन्य का किसी भी प्रकार से कोई हक, हिस्सा, अधिकार एवं अधिपत्य नहीं है।

2. उक्त वर्णित भूमि का आज दिन तक कभी भी सीमांकन नहीं हुआ है एवं न ही पक्की पत्थरगढ़ी हुई है, जिससे आये दिन सीमा संबंधी विवाद पैदा होने की संभावना रहती है। प्रार्थी अपनी खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की भूमि का इस कारण से सही ढ़ग से विकसित नहीं कर पा रहा है। फसलों को बचाने के लिए भी प्रार्थीगण अपनी इस कृषि भूमि को चारों तरफ तारबंदी करवाना चाहता है। उपरोक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 07.12.2022 को पैदा हुआ जब प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण को सीमांकन एवं पत्थरगढ़ी के लिए कहा गया, तो उन्होंने द्वारा सक्षम न्यायालय में कानूनी कार्यवाही के लिए कहा गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:44:16 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
भीण्डर

Scanned by CamScanner

3. अतः प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी की कृषि आराजियात मौजा हींता, पटवार हल्का हींता भू.अभिलेख निरीक्षक वृत सालेड़ा, तहसील कानोड़ की जमाबन्दी संवत् 2078–81 के खाता सख्या 536 की आराजी संख्या 1655 रकबा 0.5400 हैक्टेयर एवं आराजी संख्या 1656 रकबा 0.1100 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज रेकर्ड है जिसका नियमानुसार सीमांकन कर पक्की पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश प्रदान फरमाया जावें।

4. हमने पत्रावली को दर्ज रजिस्ट्रर किया विपक्षीगण को जरिय सूचना पत्र तलब किया जिसमें अप्रार्थी संख्या 2 ने न्यायालय में उपस्थित होकर पत्थरगढ़ी कराये जाने पर सहमति प्रदान की जिसके हस्ताक्षर फर्द अहकाम आदेशिका पर करावाये गये तथा अप्रार्थी सख्या 1 द्वारा बाद तामिल भी न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण तथा बार–बार आवाजे दिलाने पर भी न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

5. हमने पत्रावली का अध्ययन किया प्रस्तुत दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया एवं प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा की गई एक पक्षीय बहस पर मनन किया जिसमें मौजा हींता, पटवार हल्का हींता भू.अभिलेख निरीक्षक वृत सालेड़ा, तहसील कानोड़ की जमाबन्दी संवत् 2078–81 के खाता सख्या 536 की आराजी संख्या 1655 रकबा 0.5400 हैक्टेयर एवं आराजी संख्या 1656 रकबा 0.1100 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज रेकर्ड है जिसकी पत्थरगढ़ी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

6. अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार कानोड़ को 1000 रूपयें पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिए जाते है कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि मौजा हींता, पटवार हल्का हींता भू.अभिलेख निरीक्षक वृत सालेड़ा, तहसील कानोड़ की जमाबन्दी संवत् 2078–81 के खाता सख्या 536 की आराजी संख्या 1655 रकबा 0.5400 हैक्टेयर एवं आराजी संख्या 1656 रकबा 0.1100 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज रेकर्ड है जिसकी पत्थरगढ़ी प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की उपस्थिति में की जाने के आदेश दिये जाते है।

7. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:44:16 IST
Reason: SelfAttested

20/6/22

(रमेश सीरवी पुनाड़िया RAS)
उपखण्ड अधिकारी भींडर
भीण्डर जिला-उदयपुर (राज.)

Scanned by CamScanner